हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण अनुपस्थित एवं वकील प्रतिवादीगण उपस्थित। वकील वादीगण को बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकील वादीगण कोर्ट समाप्ति तक हाजिर अदालत उपस्थित नही आये है। अतः वादीगण व वकील वादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। वकील प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 6 ने ईकबालिया जवाब कॉस दावा पेश किया। जिसकी नकल वकील प्रतिवादी को दिलाई जाकर ईकबालिया जवाब कॉस दावा शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रतिवादीगण ने वादपत्र के साक्ष्य प्रतिवादीगण के मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में पी.डब्ल्यू. 1 कैलाशचन्द पुत्र स्व0 कज्जू व गिरधारी लाल पुत्र स्व0 कज्जू पी0 डब्ल्यू0 2 का पेश किये। जो शामिल पत्रावली किये गये। वकील प्रतिवादीगण ने साक्ष्य प्रतिवादीगण पेश हो जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर मूल प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादी श्री अभिषेक कुमावत एड0 ने बहस सुनी जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई। उपस्थित वकुलाय पक्षकारान् की सहमति पर प्रकरण में बहस मूल प्रतिदावा पर वकुलाय पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश मूल प्रतिदावा पत्रावली दिनांक 05.02.2024 को पेश हो।

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.09.18 12:35:10 IST
Reason: SelfAttested

05.02.2024 पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश [illegible] वकील वादीगण के उपस्थित नहीं [illegible] वादपत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है तथा वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा स्वीकार [illegible] जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिकी किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिकी जारी

तारीख हुक्म	गोपाल बनाम ... हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज ... 23/2024
	हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (signature) 02/09/24 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.09.18 12:35:10 IST
Reason: SelfAttested

(137)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
23/2024	2024/41	10.10.2013	05.02.2024

उनवान प्रकरण

1. रामगोपाल पुत्र नारायण – (मृत्तक)

1/1 हीरा देवी पत्नी स्व0 रामगोपाल

1/2 उषा देवी पुत्री स्व0 रामगोपाल

1/3 आशा देवी पुत्री स्व0 रामगोपाल

1/4 रमेश पुत्र स्व0 रामगोपाल

1/5 रवि पुत्र स्व0 रामगोपाल

2. बंशीधर पुत्र नारायण

3. रूड़मल पुत्र सुवाराम

4. प्रभूदयाल पुत्र सुवाराम

5. [illegible] देवी पत्नी स्व0 सुवाराम

समस्त जाति हरिजन निवासी ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

(सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना))

-- वादीगण--

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.09.18 12:35:10 IST
Reason: SelfAttested

बनाम

1. कज्जू पुत्र रामदेव –(मृत्तक)

1/1 कैलाश पुत्र स्व0 कज्जू

05/02/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

138

1/2 गिरधारी पुत्र स्व0 कज्जू

1/3 औमप्रकाश पुत्र स्व0 कज्जू

1/4 सुभाष पुत्र स्व0 कज्जू

1/5 महेश कुमार पुत्र स्व0 कज्जू

1/6 माली देवी पुत्री स्व0 कज्जू

1/7 छोटी देवी पुत्री स्व0 कज्जू

1/8 मनीषा देवी पत्नी स्व0 पूरणमल पुत्र कज्जू

1/9 चेतन पुत्र स्व0 पूरणमल पुत्र कज्जू

1/10 सुनिल पुत्र स्व0 पूरणमल पुत्र कज्जू

1/11 अनिल पुत्र स्व0 पूरणमल पुत्र कज्जू

समस्त जाति हरिजन निवासी ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उप पंजीयक श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पटवारी हल्का गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

4. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

5. जोधाराम पुत्र कजोड़मल जाति रैगर निवासी आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर

6. सीताराम पुत्र मूलचन्द जाति हरिजन निवासी अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.09.18 12:35:10 IST
Reason: SelfAttested

——प्रतिवादीगण——

उपस्थित : –

श्री सरदार सिंह कुड़ी प्रथम एड0 प्रतिवादी संख्या 1/[illegible] 1/11 की ओर से।

श्री अभिषेक कुमावत एड0 प्रतिवादी संख्या 5 व 6 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 4

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

वादपत्र बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955)

--:: निर्णय ::--

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1493 रकबा 0.73 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.730 है0 तन् ग्राम गढटकनेत पटवार हल्का गढटकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी वादीगण एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 के नाम से अंकित है। उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 की अविभाजित भूमियां थी। उक्त भूमियों का अभी विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। उक्त वर्णित भूमियों को बाला–बाला बिना विधिक या संतुलित रूप से बंटवारा करवाये भूमियां कीमती होने के कारण दीगर भूमाफियावृत्ति के लोगों को विक्रय करने एवं उनका कब्जा करवाने व भूमियों के विशिष्ट भाग पर निर्माण करने व उपयोग तथा कृषि भूमि को अकृषि भूमि परिवर्तित करने व निर्माण करने की धमकियां दे रहा हैं व वादीगण को उनके हक हिस्से से महरूम कर बेदखल करने की धमकियां दे रहा हैं व कुचेष्टा कर रहा है। जिसको शामलाती भूमि का बिना बंटवारा कराये कोई हक अधिकार किसी प्रकार का नहीं है। [illegible] प्रतिवादी नम्बर 1 ने हैरान परेशान कर रखा है, कहने सुनने से प्रतिवादी [illegible] नहीं रहा है। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त वर्णित भूमि मुतनाजा का विधिक बंटवारा नहीं होने से वादीगण को सख्त हकतलफी हैं। भूमि का विधिक विभाजन नहीं होने से व प्रतिवादी नम्बर 1 की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.09.18 12:35:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

[illegible] सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

मुतनाजा में बेजा हरकतों से वादीगण का भूमि को शामिल में काश्त करना मुश्किल हो गया है। इसलिए उक्त वर्णित भूमि का विधिक तकासमा करवाया जाकर हिस्सेनुसार तन्हा खातेदारी अलग–अलग अंकित किया जाना व उसके अनुसार अलग–अलग कब्जा करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक हो गया हैं तथा प्रतिवादी नम्बर 1 को बिना विधिक बंटवारे के शामलाती अविभक्त उक्त वर्णित भूमि के किसी भी विशेष भू–भाग पर निर्माण करने, दीगर भूमाफियावृत्ति के लोगों को बेचान करने या स्वयं का विशिष्ठ भाग पर कब्जा करने व भूमि को खुर्द–बुर्द करने का कोई कानूनी हक अधिकार किसी किस्म का नहीं है। प्रतिवादी नम्बर 1 बिना विधिक बंटवारा कराये उपर्युक्त वर्णित भूमियों को दीगर को बैचान करने एवं जबरन विशिष्ठ भाग पर कब्जा करने पर आमादा है। कहने सुनने से मान नहीं रहा है, तथा धमकी दे रहा हैं कि मैं वादीगण को शामलाती भूमि से बेदखल करूंगा तथा दीगर भूमाफियावृत्ति के लोगों को विक्रय करूंगा। प्रतिवादी नम्बर 1 उक्त शामलाती भूमि में विशिष्ठ जगह पर स्वयं का कब्जा कर लिया या निर्माण कर लिया या दीगर भूमाफियावृत्ति के लोगों को अन्तरण विक्रय या किसी अन्य प्रकार से इकरारनामा, दानलेख आदि से अन्तरित कर दिया तो वादीगण के भूमि मुतनाजा में निहित विधिक हक हकूक गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। वादीगण अपने हिस्से की भूमियों से बेजा तौर पर महरूम हो जावेंगे। अनावश्यक रूप से मुकदमेंबाजी बढ़ेगी, जिससे वादीगण को इस कदर क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। इसलिए प्रतिवादी की उक्त गलत, अवैध एवं मनमाने रूप से की जा रही कार्यवाही को वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के कानूनी अधिकारी हैं एवं प्रतिवादी को न्यायहित में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना अत्यन्त आवश्यक हैं। प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा दिनांक 05.10.2013 को बिना विधिक विभाजन के भूमियों के विशिष्ठ एव उपजाऊ भाग पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.09.18 12:35:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

और जबरन से कब्जा कर अतिक्रमण करने व निर्माण करने तथा कृषि भूमि से अकृषि में तब्दील करने एवं अन्तरित करने की धमकी देने से बिनाय दावा पैदा हुआ है व लगातार हो रहा है। वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1493 रकबा 0.73 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.730 है0 तन ग्राम गढ़टकनेत पटवार हल्का गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 1 के हिस्से अनुसार विधिक विभाजन करवाया जाकर अलग बट्टा नम्बर डालकर अलग–अलग राजस्व रिकार्ड बनाया जाकर लगान कायम किये जाने तथा अलग–अलग सीव कायम कर नक्शे में तरमीम करवाये जाने तथा प्रतिवादी नम्बर 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाये जाने का निवेदन करते हुए वादीगण ने प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया है।

इस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई वादपत्र में दिनांक 18.05.2023 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव चाहे गये थे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 के द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त किये जाने पर दिनांक 04.09.2023 को एकपक्षीय डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर को राजस्व रिकार्ड में पालना किये जाने हेतु लिखा गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.09.18 12:35:10 IST
Reason: SelfAttested

इस न्यायालय [illegible] श्रीमाधोपुर द्वारा पारित किये गये निर्णय व डिक्री दिनांकित 04.09.2023 के विरूद्ध इसी न्यायालय में प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/11 की ओर से उनके विरूद्ध पारित एकपक्षीय

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(142)

प्रारम्भिक व अन्तिम डिक्री के विरूद्ध आवेदन मुकदमा संख्या 135/2023 उनवानी प्रकरण कज्जू वगै0 बनाम् रामगोपाल वगै0 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत दायर किये जाने तथा न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई पारित निर्णय दिनांक 23.01.2024 के द्वारा अपील स्वीकार की जाकर इस न्यायालय की निर्णय व डिक्री दिनांक 04.09.2023 को निरस्त करते हुए प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान् को पुनः सुनवाई का अवसर दिये जाने बाबत निर्देशित किया गया है। उक्त आदेश की पालना में प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में उभय पक्षकारान को सुनवाई एंव जवाब देही का समुचित अवसर दिया गया। जिस पर वकील वादीगण उपस्थित नहीं आये एंव वकील प्रतिवादीगण उपस्थित आये। वकील वादीगण को बार–बार आवाज दिलवाई गई। वकील वादीगण के कोर्ट समाप्ति तक हाजिर अदालत उपस्थित नहीं आने पर वादीगण व वकील वादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/11 की ओर से श्री सरदार सिंह कुड़ी प्रथम ने उपस्थित होकर जवाब दावा मय क्रॉस काउण्टर दावा पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर के भूमि खसरा नम्बर 1493 रकबा 0.73 हैक्टेयर (सुप्रसिद्ध रासाकावाला) हिस्सा 1/2 व अन्य भूमि खसरा नम्बर 1407 रकबा 0.22 हैक्टेयर व भूमि खसरा नम्बर 1907, 1908 कुल किता 2 कुल रकबा 1.09 हैक्टेयर की उक्त सम्पूर्ण भूमियॉ वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/11 के मृतक पूर्वज रामदेव के कब्जे काश्त की भूमियां वरवक्त प्रथम सैटलमेंट के पूर्व समय से रही है। मृतक रामदेव के तीनों पुत्र सुवा, नारायण, कज्जू उर्फ कजोड़ पुत्रगण रामदेव ने आपस में मौके पर कदीमी समय पूर्व मौके पर बाहमी बंटवारा कर लिया था तथा बंटवारे के समय वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1493 रकबा 0.73 हैक्टेयर हिस्सा 1/2 की पूर्वी तरफ की भूमियां प्रतिवादीगण

(मुहर: सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना))

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.09.18 12:35:10 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(143)

संख्या 1/1 से 1/11 के मृतक पिता/दादा/ससुर कज्जू पुत्र रामदेव के हक, हिस्से व अधिकार मे आयी हुई है। जिस पर कज्जू पुत्र रामदेव के जीवनकाल में उनके साथ तथा उसकी मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/11 काबिज काश्त चले आ रहे है तथा बाहमी बंटवारे में शेष भूमि खसरा नम्बर 1407 रकबा 0.22 हैक्टेयर व भूमि खसरा नम्बर 1907, 1908 कुल किता 2 रकबा 1.09 हैक्टेयर की भूमियां वादीगण के मृतक पूर्वज सुवा, नारायण पुत्र रामदेव के बाहमी बंटवारे में आई हुई है, जिस पर प्रतिवादीगण उनके जीवनकाल में उनके समय तथा उसकी मृत्यु पश्चात स्वयं मौके पर काबिज काश्त है। जिस पारिवारिक बंटवारे की लिखावट याददाश्त दिनांक 14.02.2003 को वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य लिखी गई है, जिससे वादीगण एस्टॉप्ड् है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1493 रकबा 0.73 हैक्टेयर हिस्सा 1/2 पूर्वी तरफ की भूमियों की खातेदारी वादीगण अपने नाम दर्ज कराने के कानूनन अधिकारी है तथा उक्त भूमियों में दर्ज वादीगण व इनके मृतक पिता/दादा/ससुर सुवा, नारायण पुत्र रामदेव का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ कराने एंव शेष 1/2 हिस्से की पश्चिमी तरफ की भूमियां प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 के बंटवारे में मौके पर आने से बाहमी बंटवारे में अपने हक, हिस्से व अधिकार की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1493 रकबा 0.73 हैक्टेयर हिस्सा 1/2 पूर्वी तरफ पर प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/11 मौके पर काबिज काश्त व आबाद चले आने तथा वादीगण का कोई सरोकार किसी किस्म का नही है। इसमें वादीगण उक्त भूमियों के गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में खातेदारी दर्ज करवाकर रहन बय मुंतकिल करने और आमादा है और जबरन लठ व ताकत के बल पर प्रतिवादीगण को बेदखल करना चाहता है। इसलिये न्यायहित में वादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1493 रकबा 0.73 हैक्टेयर हिस्सा 1/2 के पूर्वी भाग पर मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.09.18 12:35:10 IST
Reason: SelfAttested

सत्यापित प्रतिलिपि
(फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/11 काबिज काश्त व आबाद चले आ रहे है तथा शेष 1/2 हिस्सा पश्चिमी भाग पर प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 मौके पर काबिज काश्त है, इसी अनुसार भूमियों की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/11 व प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में भूमियों की खातेदारी दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड उचित एवं आवश्यक है तथा इसी अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/11 का क्रॉस दावा वादीगण के विरूद्ध निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे :– राजस्व ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1493 रकबा 0.73 हैक्टेयर हिस्सा 1/2 पूर्वी तरफ का प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/7 को 7/8 हिस्से का बहिस्सा बराबर व प्रतिवादीगण संख्या 1/8 से 1/11 को 1/8 हिस्से का बहिस्सा बराबर काबिज खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इसमें दर्ज मृतक सुवा, नारायण, कज्जू पुत्रगण रामदेव व वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजाफ फरमाया जावे तथा शेष 1/2 हिस्सा पश्चिमी तरफ का प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 को बहिस्सा बराबर काबिज खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रैस में अंकन करवाया जाकर अलग–अलग लगान कायम किये जाने तथा वादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये जाने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत काउण्टर दावें में किया है। जिसकी नकल वकील प्रतिवादीगण को दिलाई जाने पर वकील प्रतिवादीगण [illegible] इकबालिया जवाब कॉस दावा पेश किया जाकर वकील प्रतिवादीगण [illegible] काउण्टर दावा को स्वीकार किया। प्रतिवादीगण संख्या 1/1 कैलाशचन्द पुत्र कज्जू व प्रतिवादी संख्या 1/2 गिरधारी लाल पुत्र कज्जू ने मुख्य परीक्षण में लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये। वकील प्रतिवादीगण ने वादपत्र में प्रस्तुत काउण्टर दावा अनुसार वादपत्र को

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.09.18 12:35:10 IST
Reason: SelfAttested

(145)

डिकी किये जाने हेतु आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का अन्तिम निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति पर वादपत्र में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहुपक्षीय सुनी गई।

हमने वकील प्रतिवादीगण श्री सरदार सिंह कुड़ी प्रथम एड0 व श्री अभिषेक कुमावत एड0 की बहस ध्यानपूर्वक सुनी तथा बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसला आधार जमाबंदी संवत् 2074–2077 तीन जमाबन्दियॉ, खेत की जमीन के बॅटवारे संबधित फैसला की प्रमाणित फोटोप्रति दिनांकित 14.02.2003, साक्ष्य में पेश प्रतिवादीगण संख्या 1/1 व 1/2 द्वारा प्रस्तुत लिखितशुदा शपथ पत्रों इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर के वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1493 रकबा 0.73 हैक्टर हिस्सा 1/2 व अन्य भूमि खसरा नम्बर 1407 रकबा 0.22 हैक्टर व खसरा नम्बर 1907, 1908 कुल किता 2 कुल रकबा 1.09 हैक्टर की सम्पूर्ण भूमियॉ वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/11 के मृत्तक पूर्वज रामदेव के कब्जे काश्त की भूमियॉ वरवक्त प्रथम सैटलमेंट के पूर्व समय से चली आना तथा मृत्तक रामदेव के तीनों पुत्र सुवा, नारायण, कज्जू उर्फ कजोड़ पुत्रगण रामदेव ने आपस में मौके पर कदीमी समय से मौके पर बाहमी बंटवारा किया जाना तथा बंटवारा के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 1493 रकबा 0.73 हैक्टर हिस्सा 1/2 की पूर्वी तरफ की भूमियॉ (रकबा 0.3650 हैक्टर) प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/11 के मृत्तक पिता/दादा/ससुर कज्जू पुत्र रामदेव के हक हिस्से व अधिकार में आना तथा कज्जू पुत्र रामदेव की मृत्यु उपरान्त प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/11 के काबिज काश्त होना जो बंटवारे की लिखावट यादाश्त दिनांक 14.02.2003 वादीगण व

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.09.18 12:35:10 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/11 के मध्य लिखी गई से भी सिद्ध है तथा शेष हिस्सा 1/2 पश्चिमी तरफ (रकबा 0.3650 हैक्टर) का प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 को उनके बंटवारे में आना प्रकट होता है। वकील प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/11 के द्वारा प्रस्तुत काउण्टर दावा अनुसार वादपत्र का निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किये जाने पर वकील प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 ने आदेशिका पर हस्ताक्षर करते हुये अपनी सहमति प्रकट की है। वकील वादीगण व वादीगण पक्षकारान् के हाजिर अदालत नहीं आने पर वादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अतः वकील प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/11 के द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा को वकील प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 के द्वारा स्वीकार करते हुए इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत कर दिये जाने से वकील प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/11 के द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा को प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/11 एंव 5 व 6 के वकुलाय उभय पक्षकारान की सहमति के आधार पर वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा को स्वीकार किये जाने हेतु खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को अदम हाजरी व अदम पैरवी [illegible] किया जाता है एंव वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा बाबत उद्घोषणा [illegible] स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि राजस्व ग्राम गढटकनेत तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.09.18 12:35:10 IST
Reason: SelfAttested

05/02/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(147)

श्रीमाधोपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1493 रकबा 0.73 हैक्टेयर हिस्सा 1/2 पूर्वी तरफ (रकबा 0.3650 हैक्टर) का प्रतिवादीगण संख्या 1/1 से 1/7 को 7/8 हिस्से का बहिस्सा बराबर व प्रतिवादीगण संख्या 1/8 से 1/11 को 1/8 हिस्से का बहिस्सा बराबर काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसमें दर्ज मृतक सुवा, नारायण, कज्जू पुत्रगण रामदेव व वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाता है तथा शेष 1/2 हिस्सा पश्चिमी तरफ (रकबा 0.3650 हैक्टर) का प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 को बहिस्सा बराबर काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रैस में अंकन किया जाकर अलग-अलग लगान कायम किये जावे तथा वादीगण व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें एंव ना ही दीगर से करावें। तदनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

05/02/24
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.09.18 12:35:10 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 05.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/02/24
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)